

आदेश पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-ता०

से

तक

जिला

सं०

18

सन

2024-25

केस का प्रकार

विविध वार (जमाबंदी का ऑनलाइन माध्यम)

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																		
1	2	3																		
01 10-12-24	आवेदक/आवेदिका <u>लाजपत बाग</u> पिता/पति <u>स्व० फ्रांसिस बाग</u> ग्राम <u>पतिग्रामा</u> पो० <u>जलडेगा</u> थाना <u>जलडेगा</u> जिला <u>सिमडेगा</u> ने आवेदन पत्र देकर अनुरोध किया है कि निम्नलिखित ग्राम <u>जलडेगा</u> की भूमि विक्रेता <u>विनोद बाईक</u> पिता/पति <u>स्व०</u> <u>चंद्र बाईक</u> से केवाला सं०/पट्टा सं० <u>361</u> दिनांक <u>03-05-2013</u> के माध्यम से भूमि खरीद किया था। जिसका दाखिल-खारिज होकर मांग चलता था। जो ऑनलाइन में खतियान एवं मांग पजी-2 पुनः विक्रेता/विक्रेता के पूर्वज/विक्रेता के वंशज <u>सोमनाथ</u> के नाम से संधारित हो गया है। जिसे क्रेता ने निम्नलिखित भूमि को अपने नाम से ऑनलाइन जमाबन्दी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु आग्रह किया है। <u>रिविजनल सर्वे(RS) के अनुसार कायम जमाबन्दी का विवरण (क्रेता)</u> जमाबन्दी रैयत का नाम <u>लाजपत बाग</u> पिता/पति का नाम <u>स्व० फ्रांसिस बाग</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्राम/थाना नं०</th> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकबा</th> <th>लगान</th> <th>पेज</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>जलडेगा</u></td> <td><u>06</u></td> <td><u>817</u></td> <td><u>0.4050</u></td> <td><u>0.25</u></td> <td><u>17</u></td> </tr> <tr> <td><u>64</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>IV</u></td> </tr> </tbody> </table> मूल आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों को संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराते हुए अंचल निरीक्षक के माध्यम से दिनांक <u>27.12.24</u> तक जाँच प्रतिवेदन की मांग करें।  <u>10-12-24</u> अंचल अधिकारी, जलडेगा।	ग्राम/थाना नं०	खाता	खेसरा	रकबा	लगान	पेज	<u>जलडेगा</u>	<u>06</u>	<u>817</u>	<u>0.4050</u>	<u>0.25</u>	<u>17</u>	<u>64</u>					<u>IV</u>	
ग्राम/थाना नं०	खाता	खेसरा	रकबा	लगान	पेज															
<u>जलडेगा</u>	<u>06</u>	<u>817</u>	<u>0.4050</u>	<u>0.25</u>	<u>17</u>															
<u>64</u>					<u>IV</u>															

दिनांक 07/05/2013

अभिलेख व्यवस्थापित किया गया। राजस्व उप निरीक्षक ने अचल निरीक्षक एवं अमीन के माध्यम से जॉय प्रतिवेदन अपने-अपने अनुशंसा के साथ समर्पित किए। जिसका अवलोकन किया। अब इस्तफा निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 15/05/2013 तक जारी करें।

अचल अधिकारी
जयदेगा।

पृष्ठ 48

अभिलेख व्यवस्थापित। जमा इस्तफा का अभिलेख विशेषतः प्रकाशन के पश्चात प्राप्त हुआ है। किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति नहीं दी है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक के जॉय प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत निर्दिष्ट होता है कि कंवाला स० 361 दिनांक 03.05.2013 के माध्यम से विक्रेता विनोद

विक्रेता पिता/पति राजू चंद बघाईक धाम अमरपुरा पति पिता/पति धाम अमरपुरा
जमा अमरपुरा में होता अमरपुरा का जमा अमरपुरा धाम अमरपुरा
के साथ प्रस्तावित भूमि विशेषतः सदैव के अनुसार विक्री किया था। जिसका दाखिल-खारिज वार स० 08/02/16-17 हाल दाखिल-खारिज होकर क्रेता के नाम से ऑफलाइन मांग पंजी-2 के होटिंग न० 17/12 पर जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत किया जाता है। ऑनलाईन में विक्री की गई भूमि पुनः विक्रेता/विक्रेता के पूर्वज/विक्रेता के वंशज श्रीमंता नौकरी के नाम से खतियान एवं मांग पंजी-2 ऑनलाईन में संचारित है। जो निम्नवत है-

धाम/धाना न०	खाता	खसरा	रकबा	लगान	हो० न०
अमरपुरा 64	6	917-3-3	1.995 1740 19.298	10.80 8.50	198 2

उपरोक्त R.S में चल रहे जमाबंदी की भूमि ऑनलाईन में पुनः विक्रेता/विक्रेता के पूर्वज/विक्रेता के वंशज के नाम से खतियान एवं मांग पंजी-2 ऑनलाईन में संचारित है। राजस्व अचल अमीन के द्वारा प्रस्तुत ट्रेस नक्शा एवं राजस्व उपनिरीक्षक ने अचल निरीक्षक के माध्यम से विहित प्रपत्र में जॉय प्रतिवेदन अपने अनुशंसा के साथ जमाबंदी रैयत क्रेता के नाम से ऑनलाईन कायम करने हेतु प्रतिवेदित किया है। प्रस्तावित भूमि खतियानी रैयती भूमि है। क्रेता अथवा क्रेता के वारिसान क्रय भूमि पर शांतिपूर्ण दखलदार है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक के जॉय प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आधार पर लगान वसूली हेतु मूल जमाबंदी रैयत के पेज नं० 18/2 से रकबा एवं लगान घटाकर क्रेता राजू चंद बघाईक पिता/पति राजू चंद बघाईक धाम अमरपुरा धाम अमरपुरा के नाम से निम्नलिखित भूमि का ऑनलाईन जमाबंदी अद्यतन करने की रंगी हति दी जाती है।

हाल सर्वे (RS) के अनुसार भूमि का वितरण

घात/धाना का	खसरा	खसरा	रकबा	समान
जलडेगा - 64	6 - 1	817 - 1	0.40 ए - 1	2.00 ए 8.40
			0.40 ए	

कुल रकबा चालीस डिग्रीमील मात्र।

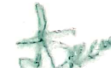
तदनुसार आदेश का उद्घरण तीन प्रति में तैयार कर उपस्थापित करें।


15-01-25
अंचल अधिकारी,
जलडेगा।

आदेश का उद्घरण तीन प्रति में हस्ताक्षरित। दो प्रति आदेश पत्र संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को दें। राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं कम्प्युटर ऑपरेटर जमाबन्दी ऑनलाईन अद्यतन करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

लेखापित एवं संशोधित


15-01-25
अंचल अधिकारी,
जलडेगा।


15-01-25
अंचल अधिकारी,
जलडेगा।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं कम्प्युटर ऑपरेटर से आदेश की अनुपालन प्रवितवेदन प्राप्त है। अतः अभिलेख की कार्यवाही अस्त की जाती है।


17-01-25
अंचल अधिकारी,
जलडेगा।